



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 14/2013

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – देलवाडा

- 1- श्री रंगलाल वयस्क पुत्र श्री किशनलाल,
 - 2- श्री ब्रह्मलाल वयस्क पुत्र श्री किशनलाल,
- दोनों जाति जाट, निवासियान ग्राम देलवाडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

-----वादीगण

ब नाम

- 1- श्रीमति बरजी वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
 - 2- श्री बालूराम वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
 - 3- श्री नैनूराम वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
 - 4- श्री रामचन्द्र वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
 - 5- श्री रूपा वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
 - 6- श्री पन्ना वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
 - 7- श्री धन्ना वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
 - 8- श्री लाला वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
 - 9- श्रीमति कमला वयस्क पत्नि स्व. श्री मिठूलालजी,
 - 10- श्री शिवनाथ वयस्क पुत्र स्व. श्री घीसालालजी,
 - 11- श्रीमति रामेश्वरी पत्नि स्व. श्री रामरतनजी,
 - 12- श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरतनजी,
 - 13- श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरतनजी,
 - 14- श्री जगदीश वयस्क पुत्र स्व. श्री हरकरणजी,
 - 15- श्रीमति बदामी पत्नि स्व. श्री हरकरणजी,
 - 16- श्री शंकर वयस्क पुत्र श्री रणजीतजी,
 - 17- श्रीमति भंवरी वयस्क पत्नि स्व. श्री रणजीतजी,
- समस्त जाति जाट, निवासियान ग्राम देलवाडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
- 18- श्री सिमेन्ट लिमिटेड, अंधेरी देवरी, तहसील ब्यावर (राज.) जरिये प्रबंधक/मैनेजर।
 - 19- श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
 - 20- राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक, श्रीमान तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 07.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प कोर्ट देलवाडा में प्रस्तुत हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को निर्णय व बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसके पालना में तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक 120 दिनांक 07.06.2018 को मजमें आम में बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वादीगण स्वयं उपस्थित। मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया जिन्होंने यथाप्रस्ताव बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मजमें आम में प्रस्तुत बंटवारा पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है।

चूंकि लोक अदालत अभियान में राज्य सरकार की मंशा पक्षकारान को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने की है एवं राज्य सरकार के उक्त उद्देश्य के तहत मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देलवाडा, पटवार हल्का देलवाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 1693/1893 रकबा 00-08-00, 1694/1914 रकबा 00-07-06, 1696/1 रकबा 00-03-10, 1697/1911 रकबा 00-05-05, 1698/1 रकबा 00-11-03 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 01-15-04 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को रंगलाल ब्रह्मा पि. किशनलाल कौम

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1895 रकबा 00-07-06, 1696/2 रकबा 00-03-10, 1697/1897 रकबा 00-13-05, 1698/3 रकबा 00-11-02 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को शिवनाथ वल्द घीसा शान्ति राधा पुत्रियां घीसा कौम जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1915 रकबा 00-07-06, 1696/3 रकबा 00-03-10, 1697/1912 रकबा 00-13-05, 1698/4 रकबा 00-11-03 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-04 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को बरजी पत्नि चतरभुज बालूराम नेनूराम रामचन्द्र पि. चतरभुज रुपा पन्ना धन्ना लाला पि. मिटुलाल कमला पत्नि मिटुलाल कौम जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1916 रकबा 00-07-06, 1696/4 रकबा 00-03-10, 1697/1913 रकबा 00-13-05, 1698/5 रकबा 00-11-02 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है, को रामरतन वल्द मिश्रीलाल जगदीश वल्द हरकरण बदामी पत्नि हरकरण शंकर वल्द रणजीत भंवरी पत्नि रणजीज व मु. छगनी पत्नि मिश्रीलाल कौम जाट सा. देह खातेदार (राहिन बैंक ऑफ राज. लि. ब्यावर मुर्तहिन बिलकब्ज मु.125000रु.) के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को खुले न्यायालय कैम्प कोर्ट देलवाड़ा में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(हाथिल वमा)
ब्यावर

आर०ए०एस०(प्र०)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर ब्यावर

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तादाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम हर्षित वर्मा आर. ए. एस. (प्रशिक्षु)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – देलवाड़ा
राजस्व वाद संख्या 14/2013

- 1- श्री रंगलाल वयस्क पुत्र श्री किशनलाल,
- 2- श्री ब्रह्मलाल वयस्क पुत्र श्री किशनलाल,
दोनों जाति जाट, निवासियान ग्राम देलवाड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

-----वादीगण

ब न म

- 1- श्रीमति बरजी वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
- 2- श्री बालूराम वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
- 3- श्री नैनूराम वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
- 4- श्री रामचन्द्र वयस्क पुत्र स्व. श्री चतरभुज,
- 5- श्री रूपा वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
- 6- श्री पन्ना वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
- 7- श्री धन्ना वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
- 8- श्री लाला वयस्क पुत्र स्व. श्री मिठूलालजी,
- 9- श्रीमति कमला वयस्क पत्नि स्व. श्री मिठूलालजी,
- 10- श्री शिवनाथ वयस्क पुत्र स्व. श्री घीसालालजी,
- 11- श्रीमति रामेश्वरी पत्नि स्व. श्री रामरतनजी,
- 12- श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरतनजी,
- 13- श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरतनजी,
- 14- श्री जगदीश वयस्क पुत्र स्व. श्री हरकरणजी,
- 15- श्रीमति बदामी पत्नि स्व. श्री हरकरणजी,
- 16- श्री शंकर वयस्क पुत्र श्री रणजीतजी,
- 17- श्रीमति भंवरी वयस्क पत्नि स्व. श्री रणजीतजी,
समस्त जाति जाट, निवासियान ग्राम देलवाड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
- 18- श्री सिमेन्ट लिमिटेड, अंधेरी देवरी, तहसील ब्यावर (राज.) जरिये प्रबंधक/मैनेजर।
- 19- श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
- 20- राजस्थान सरकार जरिये भू-धारक, श्रीमान तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री रामस्वरूप सेवलिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री रामेश्वर मेवाड़ा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 20 – परोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :- 14/2013
निर्णय/डिक्री दिनांक :- 07.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट देलवाड़ा में पेश हुआ। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.06.2018 को हर्षित वर्मा, आ.ए.एस. (प्रशिक्षु) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट देलवाड़ा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

बंटवारा प्रस्ताव अनुसार स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देलवाड़ा, पटवार हल्का देलवाड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर, तहसील ब्यावर, जिला

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 1693/1893 रकबा 00-08-00, 1694/1914 रकबा 00-07-06, 1696/1 रकबा 00-03-10, 1697/1911 रकबा 00-05-05, 1698/1 रकबा 00-11-03 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 01-15-04 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को रंगलाल ब्रह्मा पि. किशनलाल कौम जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1895 रकबा 00-07-06, 1696/2 रकबा 00-03-10, 1697/1897 रकबा 00-13-05, 1698/3 रकबा 00-11-02 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को शिवनाथ वल्द घीसा शान्ति राधा पुत्रियां घीसा कौम जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1915 रकबा 00-07-06, 1696/3 रकबा 00-03-10, 1697/1912 रकबा 00-13-05, 1698/4 रकबा 00-11-03 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-04 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को बरजी पत्नि चतरभुज बालूराम नेनूराम रामचन्द्र पि. चतरभुज रूपा पन्ना धन्ना लाला पि. मिटुलाल कमला पत्नि मिटुलाल कौम जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1694/1916 रकबा 00-07-06, 1696/4 रकबा 00-03-10, 1697/1913 रकबा 00-13-05, 1698/5 रकबा 00-11-02 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 01-15-03 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है, को रामरतन वल्द मिश्रीलाल जगदीश वल्द हरकरण बदामी पत्नि हरकरण शंकर वल्द रणजीत भंवरी पत्नि रणजीज व मु. छगनी पत्नि मिश्रीलाल कौम जाट सा. देह खातेदार (राहिन बैंक ऑफ राज. लि. ब्यावर मुर्तहिन बिलकब्ज मु.125000रु.) के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 07.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
(ह.पि.त. व.म.)
ब्यावर

आर०ए०एस०(प्र०)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़



उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
(ह.पि.त. व.म.)
ब्यावर

आर०ए०एस०(प्र०)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर